राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005

फोन न:0141–2228066, फैक्स न:0141–2228065 ई–मेल :rmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.08( )/आरएमएससी/ई.पी.एम./2019-20/ 2802 दिनांक : 5/11/19

कार्यालय आदेश

आरएमएससीएल द्वारा उपकरण Water Bath Incubator की आपूर्ति बाबत जारी निविदा क्रमांक F-8( ) RMSC/EPM/M-1/18-19/NIB-397/2018/40 दिनांक 04.01.19 के क्रम में फर्म मैसर्स M/s Chino Scientific Instruments Mfg., 326, Panchsheel Nagar, Ajmer-30500 द्वारा प्रस्तुत बोली दस्तावेजों में फर्म द्वारा वर्ष 2016–2017 का एक स्थान पर राशि रू. 29,00,000/– तथा दूसरे स्थान पर राशि रू. 29,50,000/– औसत वार्षिक टर्नऑवर दर्शाया गया। फर्म के औसत वार्षिक टर्नऑवर संबंधी सनदी लेखाकार द्वारा जारी उक्त प्रमाण पत्र के संदेहास्पद प्रतीत होने पर फर्म से स्पष्टीकरण चाहा गया। फर्म द्वारा प्रस्तुत नवीन प्रमाण पत्र (जो कि अन्य सनदी लेखाकर द्वारा जारी किया गया) में पूर्व में प्रस्तुत औसत वार्षिक टर्नऑवर से भी भिन्न औसत वार्षिक टर्नऑवर प्रस्तुत किया गया।

फर्म द्वारा औसत वार्षिक टर्नऑवर के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण दिनांक 08.5.19 से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाने पर फर्म को नोटिस दिया गया।

क्रय समिति द्वारा बैठक दिनांक 11.06.2019 में प्रकरण पर विचार विमर्श कर फर्म M/s Chino Scientific Instruments Mfg., Ajmer द्वारा प्रस्तुत फर्म के औसत वार्षिक टर्नऑवर संबंधी दस्तावेज के संदिग्ध पाये जाने व उसकी पुष्टि नहीं कराए जाने पर फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 05.08.2019 में फर्म को सुनवाई का अवसर दिया गया, जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा वास्तविक/ सच्चे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं तथा फर्म बिड़ शर्तों के अनुसार आवश्यक औसत वार्षिक टर्नऑवर की अर्हकता रखती है। परीक्षणोपरान्त अनुशासनात्मक समिति ने पाया कि फर्म द्वारा औसत वार्षिक टर्नऑवर संबंधी भिन्न–भिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करना व उन्हें प्रमाणित न करा पाना उन्हें अपुष्ट सिद्व करता है तथा वे बोली में सम्मिलित होने के उद्देश्य से कूटरचित दस्तावेज प्रकट होते हैं।

अतः अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषानुसार निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने तथा निविदा में भाग लेने के लिए अर्हकता संबंधी संदिग्ध/ कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर फर्म M/s Chino Scientific Instruments Mfg., Ajmer को निविदा के Section VI A: General Conditions Of Contract (GCC) की शर्त संख्या 3 (vi), 4 (vi) तथा 36 (i) व (ii) के प्रावधानानुसार NIB-397 के साथ प्रस्तुत bid secutiry को जब्त करने एवं यह आदेश जारी करने की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए निगम की बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ड़िबार (debar) किया जाता है। फर्म के साथ अन्य आईटमों/ उपकरणों हेतु निष्पादित दर संविदाओं में भी कोई नया संव्यवहार नहीं किया जाएगा तथा निगम के

साथ निष्पादित समस्त चालू दर संविदाए आदेश जारी किए जाने की दिनांक से समाप्त की जाती हैं। उपर्युक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय किये गये उपकरण जो तकनीकी स्पेसिफिकेशन के अनुरूप पाये जाते है/ कन्साईनी चिकित्सा संस्थान द्वारा आपूर्ति उपरान्त प्रमाणित किए गए है पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

(सुरेश चन्द गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससीएल

क्रमांक : प.08( )/आरएमएससी/ई.पी.एम./2019–20/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर, राजस्थान ।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन.एच.एम. जयपुर ,राजस्थान।
3. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
5. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
6. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल आर.एम.एस.सी.।
7. ए.जी.एम.(आई.टी) आर.एम.एस.सी. को लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. M/s Chino Scientific Instruments, Ajmer
9. आदेश पत्रावली।

31.10.19

(पवन जैमन)
कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.)
आरएमएससीएल